पी. जी.

समक्ष : जय सिंह सेखों, माननीय न्यायमूर्ति

बलवंत - याचिकाकर्ता,

बनाम

जय सिंह और एक अन्य - उत्तरदाता

आपराधिक विविध 1990 का सं. 11884-एम

26 मार्च, 1991

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का II)- धरायें 132, 133, 137, 138 और 482-सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण से इनकार-निचली अदालत ने साक्ष्य और साक्ष्य का अभाव में धारा 133 के तहत सशर्त आदेश पारित किया- -क्या निचली अदालत ऐसे आदेश पारित किए जा सकते हैं- धारा 37 के प्रावधानों को अनिवार्य अभिनिर्धारित किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि विचारण न्यायालय का यह दायित्व है कि वह संहिता की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार नियमित जांच शुरू करने से पहले उक्त स्थान पर ऐसे अधिकार के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के प्रश्न का पहले परीक्षण करे।

(पैरा 4)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 133 के तहत शुरू की गई कार्यवाहियों पर तब तक रोक लगाने का प्रावधान है, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अधिकार के अस्तित्व का निर्णय नहीं लिया जाता है, यह स्पष्ट है कि धारा 137 के प्रावधान अनिवार्य हैं और कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 138 के तहत उपद्रव का संज्ञान लेता है तो वह सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व पर पहले निर्णय लेने के लिए बाध्य है। इस मामले में, यह अभिनिर्धारित जा सकता है कि निचली अदालत ऐसा करने में विफल रही थी, जिसके

परिणामस्वरूप निश्चित रूप से कार्यवाही बाधित हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता का एक सक्षम अदालत से मामले का फैसला लेने का एक मूल्यवान अधिकार चला गया है।

(पैरा 4)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही और विवादित आदेशों को कृपया निरस्त कर दिया जाए।

आगे प्रार्थना की गई कि विवादित आदेश के प्रभाव को याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान रोका जाये।

याचिकाकर्ताओं की ओर से जे. आर. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता, बलदेव सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आर. एस. लोहान।

निर्णय

जे. एस. सेखों, माननीय न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 482 के तहत दायर इस याचिका में शामिल एकमात्र विवाद यह है कि क्या संहिता की धारा 132 के तहत मामले की योग्यता के आधार पर जांच शुरू करने से पहले संहिता की धारा 137 के तहत, ट्रायल कोर्ट के लिए पहले इस विवादित अधिकार के अस्तित्व (जैसे की सार्वजनिक सड़क का अधिकार) के संबंध में जांच करना अनिवार्य था।

(2)इस याचिका के निस्तारण के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि उपस्थित उत्तरदाताओं के आवेदन पर कि याचिकाकर्ता बलवंत ने सार्वजनिक सड़क पर एक कमरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है, मजिस्ट्रेट ने पहले धारा 133 के तहत उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया और बलवंत को नोटिस जारी किया। उस नोटिस के

जवाब में बलवंत ने विवादित स्थल की सीमा तक सड़क होने से इनकार कर दिया. तब कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने इसे संहिता की धारा 138 के प्रावधानों के तहत एक समन मामला मानकर जांच की। शिकायतकर्ता के साक्ष्यों के आधार पर और कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण था और सशर्त आदेश को निरपेक्ष कर दिया। वर्तमान याचिकाकर्ता ने तब सत्र न्यायालय, जींद के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आदेश अनुलग्नक पी-2 के माध्यम से खारिज कर दिया।

(3)मैंने अभिलेखों का अवलोकन करने के अलावा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि संहिता की धारा 137 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति नहीं ली गई थी, फिर भी, यह कानूनी आपत्ति होने के कारण, याचिकाकर्ता को इसका आग्रह करने से रोका नहीं जाता है, खासकर तब जब इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने से पूरी कार्यवाही निरस्त हो जाएगी।

(4) ट्रायल कोर्ट के आदेश (अनुलग्नक PI) के पैराग्राफ 3 के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता बलवंत निम्नानुसार कहा :-

> "प्रतिवादी ने इस आशय का उत्तर दिया कि उसने सार्वजनिक सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और उसका घर पिछले कई वर्षों से वहां है। उनके घर के पूर्वी हिस्से में खाली जमीन के एक छोटे से हिस्से के अलावा आवेदकों के घर हैं और इस खाली जमीन का उपयोग उनके द्वारा सड़क के रूप में किया जाता है। आगे कहा गया है कि पूर्वी तरफ एक तालाब, एक

कुआँ और पक्की सड़क है जिसका उपयोग करके आवेदक आदि अपने काम पर जाते हैं। प्रार्थना की गई कि नोटिस वापस ले लिया जाए।"

सशर्त आदेश के नोटिस की तामील पर बलवंत प्रतिवादी याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि उन्होंने विचाराधीन स्थल पर एक सार्वजनिक सड़क के अस्तित्व से इनकार किया है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट का दायित्व था कि वह संहिता की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार, नियमित जांच शुरू करने से पहले उक्त स्थान पर ऐसे अधिकार के अस्तित्व या गैर-मौजूदगी के सवाल पर विचार करे। संहिता की धारा 137 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

सशर्त आदेश के नोटिस की सेवा पर बलवंत प्रतिवादी याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि उसने विचाराधीन स्थल पर एक सार्वजनिक सड़क के अस्तित्व से इनकार किया है।इस प्रकार, यह विचारण न्यायालय का दायित्व था कि वह संहिता की खंड 138 के प्रावधानों के अनुसार नियमित जांच शुरू करने से पहले उक्त स्थान पर ऐसे अधिकार के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के प्रश्न का पहले परीक्षण करे।संहिता की खंड 137 के प्रावधान इस प्रकार हैं:–

"धारा 137 प्रक्रिया जहाँ सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है।

(1) जहां किसी भी रास्ते, नदी, चैनल या स्थान के उपयोग में जनता के लिए बाधा, उपद्रव या खतरे को रोकने के उद्देश्य से धारा 133 के तहत एक आदेश दिया जाता है, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के सामने पेश होने पर जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है, उससे सवाल करें कि क्या वह रास्ते, नदी,

चैनल या स्थान के संबंध में किसी सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है और यदि वह ऐसा करता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के तहत कार्यवाही करने से पहले मामले की जांच करेगा।

(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि इस तरह के इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत है, तो वह तब तक कार्यवाही रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा तय नहीं कर दिया जाता है; और, यदि उसे पता चलता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो वह धारा 138 में निर्धारित अनुसार आगे बढ़ेगा।

(3) एक व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ किए जाने पर, उसमें निर्दिष्ट प्रकृति के सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करने में विफल रहा है, या जो ऐसा इनकार करने के बाद, विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा है उसके समर्थन में, बाद की कार्यवाही में इस तरह के किसी भी इनकार की अनुमति नहीं दी जाएगी"

(4) एक व्यक्ति जो, उप-धारा (1) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ किए जाने पर, उसमें निर्दिष्ट प्रकृति के सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करने में विफल रहा है, या जो ऐसा इनकार करने के बाद, उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है, उसे बाद की कार्यवाही में ऐसा कोई इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

इस तथ्य से कि ऊपर प्रस्तुत इस धारा की उपधारा (2) में, संहिता की धारा 133 के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर तब तक रोक लगाने का

प्रावधान है, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा इस तरह के अधिकार के अस्तित्व पर निर्णय नहीं लिया जाता है, यह स्पष्ट है कि धारा 137 के प्रावधान अनिवार्य हैं और धारा 138 के तहत उपद्रव का संज्ञान लेने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट पहले सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व का फैसला करने के लिए बाध्य है। मौजूदा मामले में, माना जाता है कि ट्रायल कोर्ट ऐसा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से कार्यवाही ख़राब हो गई क्योंकि सक्षम न्यायालय से मामले का निर्णय लेने का याचिकाकर्ता का मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

(5) इसके जवाब में , उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री आर.एस. लोहान का कहना है कि वर्तमान याचिकाकर्ता बलवंत द्वारा दायर सिविल मुकदमा, डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विवाद में संपत्ति पर उनके पास कोई ठोस अधिकार नहीं है। इस विवाद में कोई बल नहीं प्रतीत होता है क्योंकि निर्णय (अनुलग्नक आर-I) के अवलोकन से पता चलता है कि बलवंत ने वादी-याचिकाकर्ता की भूमि पर उत्तरदाताओं को जबरन और अवैध रूप से रास्ता बनाने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। यह स्वामित्व आदि की घोषणा के लिए कोई मुकदमा नहीं था। इस मुकदमे को कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा 5 मार्च, 1990 के आक्षेपित आदेश की घोषणा के बाद 1 मई 1990 को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, डिफ़ॉल्ट रूप से उपरोक्त संदर्भित मुकदमे को सरल रूप से खारिज करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि बलवंत याचिकाकर्ता के पास विवाद में संपत्ति पर कोई ठोस स्वामित्व नहीं था।

(6) मामला यहीं शांत नहीं होता है, क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि काफ़ी पुराने समय से किसी भी

पक्ष ने मार्ग के अस्तित्व के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है, झगड़े वाली संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई सबूत पेश करने के बारे में तो क्या कहा जाए। आक्षेपित आदेश केवल कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट पर आधारित है, जिन्होंने माप पुस्तिका संख्या 7248 के पृष्ठ संख्या 30-टी-5 (4) के आधार पर इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया था कि उन्होंने पक्की ईंटों के साथ, मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हालाँकि माप पुस्तिका साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि उक्त भुगतान के समय कच्चे सार्वजनिक मार्ग की सीमाएँ कैसे तय की गई थीं।

(7) इन परिस्थितियों में इस याचिका को स्वीकार करने और ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त करने और ट्रायल कोर्ट को धारा 137 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इस मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोड. पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 23 अप्रैल, 1991 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़